न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 53/तीन/1987 – विरूद्व – आदेश दिनांक – 29 अगस्त, 1987– पारित व्दारा – अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण नम्बर 164–अ–6/1984–85 अपील

1– आड़कू पुत्र नक्शी
2– मु.श्मोतीवाई जोजे कोकी सा.सतोना
3– मु.रकमिया वाई जोजे फंदी सा.आमगांव
4– मु.देवकीवाई जोजे मन्नु सा.मुण्डेसरा
5– मु.केवटीवाई जोजे पंचम सा.मुण्डेसरा
6– जगतराम बल्द हरीमन सा.नक्शी
7– मु.मुन्ना वेवा हरीराम सा. नक्शी
8– हरीचंद बल्द रूपचंद सा. नक्शी
9– श्रीराम बल्द रूपचंद सा.नक्शी
10–लह्या बल्द कोड़या सा.सेवती
11–मेहतर बल्द कोड़या सा.सेवती
12–परदेशी बल्द फागु सा.टिमकीटोला
सभी तहसील बालाघाट जिला बालाघाट ---आवेदकगण

विरूद्व

1– भोजू बल्द मोहपतराम जाति मरार सा.नक्शी
2– शंकर बल्द मोहपतराम जाति मरार सा.नक्शी
3– बालकराम बल्द बुद्व मरार सा.मुण्डेसारा
तहसील बालाघाट जिला बालाघाट ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)

कृ0उ0पृष्ठ–2

आ दे श

(आज दिनांक 3 - 11 -2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 164/84-85 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-8-87 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम मुंडेसरा की भूमि सर्वे नंबर 2/1 रकबा 3-32 डिसमिल आवेदकगण एंव अनावेदक कमांक 3 के नाम सामिलाती रूप से अभिलिखित थी, जिसमें से अनावेदक क-3 बालकराम ने 0-83 डिसमिल भूमि अनावेदक कमांक 1 व 2 को विक्रय कर दी। इस विक्रय पत्र पर से नायव तहसीलदार टप्पा किरनापुर ने प्रकरण कमांक 6 अ-6/83-84 में पारित आदेश दिनांक 9-10-84 से केतागण का नामान्तरण कर दिया। इस आदेश के खिलाफ अनुविभागीय अधिकारी बालाघाट के समक्ष अपील नंबर 6 अ-6/1984-85 अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी बालाघाट ने आदेश दिनांक 21-5-1985 पारित करके नायव तहसीलदार टप्पा किरनापुर के आदेश दिनांक 9-10-84 को निरस्त कर दिया तथा केतागण के हित में हुआ नामान्तरण निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के यहॉ प्रकरण कमांक 164/84-85 अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त जबलपुर संभाग

जबलपुर ने आदेश दिनांक 29-8-87 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी बालाघाट का आदेश दिनांक 21-5-1985 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी एंव अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर मनन् करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति पाई गई कि प्रकरण के अवलोकन पर यह सामने आया है कि जब अनावेदक कमांक 3 ने वाद विचारित भूमि अनावेदक कमांक 1 व 2 को विकय की है वह रिकार्डेड सहभूमिस्वामी रहा है और कोई भी संयुक्त खातेदार अपने हिस्से की भूमि को विकय करने के स्वतंत्र है तथा केता को भी वही अधिकार प्राप्त होंगे जो उस भूमि में विकय के समय विकेता को थे। जहॉ तक आवेदकगण की इस आपत्ति का प्रश्न है कि अनावेदक कमांक 3 स्वयं् के हिस्से की भूमि से अधिक भू भाग विकय कर चुका है यह स्वत्व के निराकरण का विषय है एंव स्वत्व के सम्बन्ध में निर्णय लेने एंव वाद विचार करने की शक्तियॉ राजस्व न्यायालय को नहीं है जिसके कारण विकय पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार टप्पा किरनापुर ने प्रकरण कमांक 6 अ-6/83-84

में पारित आदेश दिनांक 9-10-84 से केतागण का नामान्तरण करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है इसके विपरीत अनुविभागीय अधिकारी बालाघाट व्दारा अपील कमांक 6 अ-6/1984-85 में पारित आदेश दिनांक 21-5-1985 में वास्तविक स्थिति के विपरीत अर्थ निकालकर विक्रय पत्र पर से नायब तहसीलदार व्दारा किये गये विधिवत् नामांत्रण को निरस्त करने की त्रृटि की गई थी, जिसके कारण अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण कमांक 164/84-85 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-8-87 से अनुविभागीय अधिकारी के त्रृटिपूर्ण आदेश को निरस्त करने में किसकी प्रकार की भूल नहीं की है जिसके कारण अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 164/84-85 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-8-87 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर